– :: कार्यालय कलेक्टर, दुर्ग (छ.ग.) :: –
।। आदिवासी विकास शाखा ।।
फैक्स नं. 0788–2323655, ई–मेल – actwd.durg@gmail.com

::–:: पुनः निविदा आमंत्रण सूचना ::–::

क्रमांक / 528 / आ.जा.क. / 6 / प्रयास–टेंडर / 132 / 2018–19 दुर्ग, दिनांक 25-06-2018

प्रयास आवासीय विद्यालय दुर्ग में अध्यापन कार्य हेतु फेकल्टी की व्यवस्था के लिए पंजीकृत कोचिंग संस्थाओं से "रुचि की अभिव्यक्ति" का पुनः आमंत्रण वर्ष 2018–19

मुख्यमंत्री बाल भविष्य सुरक्षा योजना अंतर्गत शैक्षणिक सत्र 2018–19 एवं 2019–20 हेतु प्रयास आवासीय विद्यालय दुर्ग में कक्षा 11वीं एवं 12वीं का छ.ग. माध्यमिक शिक्षा मंडल पाठ्यक्रम के साथ–साथ राज्य एवं अखिल भारतीय स्तर की विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे JEE(Main/Advance)/ NEET/PET (IIT, NIT मेडिकल कॉलेज एवं उसी के अनुरुप संस्थाओं) में प्रवेश हेतु पंजीकृत कोचिंग संस्थाओं से अध्यापन एवं कोचिंग हेतु निविदा आमंत्रित की जाती है।

रुचि रखने वाली कोचिंग संस्था, रुचि की अभिव्यक्ति का नमूना शर्तें एवं कार्य क्षेत्र वेबसाईड www.tribal.cg.gov.in से जानकारी प्राप्त कर सकते है। रुचि के अभिव्यक्ति के साथ रु. 5000/– का डी.डी. तथा रु. 500000/– का EMD सहायक आयुक्त आदिवासी विकास दुर्ग के पक्ष में देय हो संलग्न कर जमा करना होगा।

1. निर्धारित प्रपत्र में प्रस्ताव जमा करने की अंतिम तिथि – 16.07.2018
2. निर्धारित समय तक प्राप्त प्रस्ताव को समिति के समक्ष खोला जाना – 18.07.2018
3. पात्र पाये गये संस्थाओ का समिति के समक्ष एवं तकनीकी मूल्यांकन – 20.07.2018
4. तकनीकी मूल्यांकन अंतर्गत संस्था के शिक्षकों द्वारा कक्षा प्रदर्शन (डेमो) – 24.07.2018

रुचि रखने वाली कोचिंग संस्था / उनके अधिकृत प्रतिनिधि तकनीकी निविदा खुलने के समय उपस्थित रह सकते है।

कलेक्टर
जिला–दुर्ग

— :: कार्यालय कलेक्टर, दुर्ग (छ.ग.) :: —
।। आदिवासी विकास शाखा ।।
फैक्स नं. 0788—2323655, ई—मेल — **actwd.durg@gmail.com**

पूर्ण आवासीय प्रयास विद्यालय दुर्ग के लिए शैक्षणिक सत्र 2018—19 तथा 2019—20 हेतु फैकल्टी उपलब्ध कराने के लिए अवधि का संदर्भ

1. **पृष्ठभूमि / भूमिका :—** छत्तीसगढ़ शासन के आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग के द्वारा बाल भविष्य सुरक्षा योजना अंतर्गत पूर्ण आवासीय प्रयास विद्यालय का संचालन विभाग द्वारा किया जा रहा है। इस विद्यालय में कक्षा 11वीं एवं 12वीं छ.ग. माध्यमिक शिक्षा मंडल के पाठ्यक्रम पर आधारित गणित एवं जीव विज्ञान संकाय का शिक्षण तथा अखिल भारतीय स्तर की विभिन्न प्रतियोगी भारतीय तकनीकी संस्थान (IITs) भारतीय सूचना एवं प्रौद्योगिकी संस्थान (IIITs) राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (NITs) मेडिकल कॉलेज जैसे संस्थाओं में प्रवेश हेतु परीक्षा पूर्व कोचिंग द्वारा तैयारी कराई जाती है।
2. **''प्रयास'' कार्यक्रम :—** नक्सल प्रभावित जिले के प्रतिभावान अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST) तथा अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) के छात्र / छात्राओं को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देकर अखिल भारतीय परीक्षाओं में चयनित कराकर उनके भविष्य को सुरक्षित करना प्रयास कार्यक्रम का प्रमुख उद्देश्य है।
3. **कार्यक्रम संचालन का प्रणाली :—** अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST) तथा अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) के विद्यार्थीगण इस संस्था में प्रवेश लेते है। सामान्य वर्ग के विद्यार्थियों के लिए भी कुछ सीट आरक्षित है। इस विद्यालय में प्रतियोगी परीक्षाओं के द्वारा प्रवेश दिया जाता है। प्रवेश के उपरांत विभाग के द्वारा वास्तविक सुविधाएं जैसे बुनियादी सुविधाये तथा आवास विद्यार्थियों को उपलब्ध कराया जाता है। चयनित कोचिंग संस्था के द्वारा शिक्षण प्रदान करने के लिए फैकल्टी तथा आवश्यक सामग्री प्रदान किया जाता है। कोचिंग संस्था के द्वारा सभी प्रकार के अध्ययन सामग्री (स्टडी मटेरियल) मूल्यांकन की विधि एवं पैटर्न, टेस्ट आदि के लिए उपयोगी सामग्री भी उपलब्ध करायी जाती है।
4. **विद्यालय का नाम जिसके लिए 'रुचि की अभिव्यक्ति '' आमंत्रित है :—**

क्र.	विद्यालय का नाम	कक्षा 11वीं के विद्यार्थियों की संख्या (परिवर्तनीय)
		जीव विज्ञान एवं गणित
1.	प्रयास शासकीय आवासीय विद्यालय दुर्ग	125

उपरोक्त विद्यालय के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत करना होगा। चयन उपरांत अनुबंध अनुसार समस्त व्यवस्था करनी होगी।

5. **सौपे गये दायित्व का उद्देश्य :—** चयनित संस्था को सौपे गये दायित्व का उद्देश्य है विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना जिससे की प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी निम्नानुसार कर सके :—
(1)शैक्षणिक सत्र 2018—19 में कक्षा 11वीं तथा सत्र 2019—20 में कक्षा 12वीं के विद्यार्थियों को शिक्षा प्रदान करना।
(2) विभिन्न अखिल भारतीय स्तर के प्रवेश परीक्षाओं जैसे IITs, NITs, IIITs, NEET, PET इत्यादि की तैयारी के लिए कोचिंग प्रदान करना।
(3) मनोवैज्ञानिक तथा कैरियर काउंसलिंग की सुविधा प्रदान करना।

6. **कार्य का विस्तार :—** चयनित संस्था द्वारा कार्य के विस्तार के अंतर्गत निम्न बिंदु है :—
(a) वांछित योग्यताधारी विषय विशेषज्ञों (फैकल्टी) द्वारा गणित, भौतिकी, रसायन, वनस्पति विज्ञान, जंतुविज्ञान, हिन्दी, अंग्रेजी, मनोविज्ञान / कैरियर काउंसलिंग विषयों का शिक्षण / कोचिंग प्रदान करना।

(b) बोर्ड एवं प्रतियोगी परीक्षाओं के स्तर अनुरुप स्टडी मटेरियल, मूल्यांकन मटेरियल, टेस्ट पेपर (ऑनलाईन एवं ऑफलाईन पुस्तक आदि) उपलब्ध कराना।

(c) विद्यार्थियों के शैक्षणिक प्रगति की मानीटरिंग करना तथा कमजोर छात्र तथा उनके कमजोरियों को चिन्हांकित कर हल करना।

7. कार्य प्रणाली :– शिक्षक एवं कोचिंग प्रदान करने की कार्य प्रणाली निम्नानुसार है :–

(a) न्यूनतम निर्धारित संचयी घंटे (जैसे सभी विषय के शिक्षकों के द्वारा सामुहिक घंटो की संख्या) प्रतिदिन शैक्षणिक दिवस में 8 घंटा 20 मिनट शिक्षण प्रदान करना। इस कालखण्ड में विषय विशेषज्ञ कक्षा 11वीं तथा 12वीं की कक्षाऐं तथा अखिल भारतीय स्तर के प्रवेश परीक्षाओं जैसे IIT, NIT, IIIT, NEET इत्यादि की तैयारी करवाना।

(b) भौतिक, रसायन, गणित/जीव विज्ञान विषयों की 90 मिनट की नियमित कक्षाऐं संचालित करवाना।

(c) विद्यार्थियों के शंका समाधान (डाउट क्लियरेंस) के लिए प्रतिदिन शिक्षक अवधि में से दो घंटे का सत्र देना आवश्यक है। इस कालखण्ड में उसी विषय के शिक्षक द्वारा समाधान किया जावे।

(d) हिन्दी और अंग्रेजी विषय की कक्षाऐं अल्टरनेट (एक दिन छोड़कर) दिवसों में 90 मिनट प्रति विषय ली जा सकती है।

(e) कक्षा 11वीं एवं 12वीं के विद्यार्थियों की बोर्ड एवं प्रतियोगी प्रवेश परीक्षा के पैटर्न के अनुरुप सप्ताहिक, मासिक, त्रैमासिक, अर्द्धवार्षिक एवं वार्षिक परीक्षा पर ली जावे। पूर्ण पाठ्यक्रम पर आधारित दो से तीन परीक्षाऐं प्रतियोगी प्रवेश परीक्षा प्रारंभ के पूर्व आवश्यक रुप से लिया जाना चाहिए।

(f) प्रत्येक बैच की प्रगति का संधारण एवं मानिटरिंग निम्न आधार पर किया जावे :–
(i) बैचवार आधारित (ii) विद्यार्थीवार आधारित (iii) विषयवार आधारित
CBSE शैक्षणिक पैरमीटर के आधार पर सतत एवं व्यापक मूल्यांकन (CCE)

(g) विद्यालय के लिए नियुक्त शिक्षक/फैकल्टी किसी अन्य कोचिंग से संलग्न नहीं किए जावेंगे। शिक्षक/ फैकल्टी की नियुक्ति विद्यालय में पूर्णकालिक रहेगी।

(h) शिक्षकों की बदलने की अनुमति नहीं होगी। अपरिहार्य कारण से कलेक्टर से पूर्व अनुमति लेने पर शिक्षक बदले जा सकेंगे।

(i) विद्यार्थियों एवं प्रशासकीय अधिकारी के फीड बैक में यदि विषय शिक्षक का अध्यापन कार्य संतोषजनक नहीं पाया जाता है, तो दो सप्ताह के अंदर सूचना देकर शिक्षक बदला जा सकता है, लेकिन विषय का अध्यापन कार्य बीच में प्रभावित न हो।

(j) विद्यालय के गरिमा के अनुरूप विषय शिक्षकों के द्वारा अनुशासन, शिष्टाचार एवं व्यवहार बनाए रखना होगा।

(k) चयनित कोचिंग संस्था द्वारा स्कूल प्रबंधन और प्रशासकीय अधिकारी से सामंजस्य कर कक्षाओं की समय–सारिणी निर्धारित किया जावे।

(l) कक्षाओं में हिन्दी एवं अंग्रेजी माध्यम में मिश्रित रूप से अध्यापन किया जावे।

(m) चयनित कोचिंग संस्था द्वारा फैकल्टी के लिए आवास व्यवस्था बाहर (out side) करना होगा। कोचिंग संस्था द्वारा स्वयं के व्यय पर स्कूल/छात्रावास में फैकल्टी को रख सकेंगे।

(n) जिला कलेक्टर द्वारा समय–समय पर दिए गए निर्देशों का पालन करना होगा।

8. विषय विशेषज्ञ के लिए वांछित आवश्यक योग्यता :—

स. क्र.	विषय	विज्ञान विषय (गणित / जीवविज्ञान) हेतु शिक्षकों की संख्या	वांछित शिक्षक अनुभव (विषय आधारित)	वांछित योग्यता
1	2	3	4	5
1	गणित	02	03 वर्ष	दो M.Tech./M.Sc. गणित किसी IIT संस्था से अथवा एक M.Tech./M.Sc. गणित किसी IIT संस्था से एवं एक B.Tech किसी IIT संस्था से
2	भौतिकी	02	03 वर्ष	दो M.Tech./M.Sc. भौतिक किसी IIT संस्था से अथवा एक M.Tech./M.Sc. भौतिक किसी IIT संस्था से एवं एक B.Tech किसी IIT संस्था से
3	रसायन	02	03 वर्ष	M.Tech./M.Sc. रसायन किसी IIT संस्था से अथवा संबंधित विषय में UGC-NET उत्तीर्ण
4	वनस्पति शास्त्र	01	03 वर्ष	M.B.B.S./B.D.S. शासकीय संस्था से अथवा संबंधित विषय में UGC-NET उत्तीर्ण
5	जन्तु विज्ञान	01	03 वर्ष	M.B.B.S./B.D.S. शासकीय संस्था से अथवा संबंधित विषय में UGC-NET उत्तीर्ण
6	हिन्दी	01	03 वर्ष	संबंधित विषय में UGC-NET उत्तीर्ण
7	अंग्रेजी	01	03 वर्ष	संबंधित विषय में UGC-NET उत्तीर्ण
8	मनोवैज्ञानिक / कैरियर काउंसलर	01	—	भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से संबंधित क्षेत्र में स्नातक उपाधि
कुल		11	—	—

9. कक्षा का आकार एवं विषय समूह :—

प्रत्येक कक्षा में 45 विद्यार्थियों से अधिक नहीं होना चाहिए।

विषय संकाय :— विज्ञान (गणित एवं जीव विज्ञान)

10. सेवा एवं अनुबंध की अवधि :—

सेवा की अवधि शैक्षणिक सत्र से प्रारंभ होकर प्रतियोगी परीक्षा के काउंसलिंग की समाप्ति के अंतिम तिथि तक रहेगी। कोचिंग संस्था अपने शिक्षकों को कार्यमुक्त करने के लिए स्वतंत्र है, निम्नलिखित को छोड़कर :—

विज्ञान हेतु 03 शिक्षक जो कि गणित, जीव विज्ञान संकाय तथा एक काउंसलर होंगे।

11. प्रमुख प्रदेय वस्तुए (Key Deliverables)

a) विषय विशेषज्ञ की योग्यता निर्धारित योग्यता के अनुरूप हो।
b) बैचवार / खण्डवार / विद्यार्थीवार / विषयवार समय आवर्तिग (मासिक, त्रैमासिक, अर्धवार्षिक, प्री.बोर्ड जॉच परीक्षा आयोजित करना तथा सतत् एवं व्यापक मूल्यांकन रिपोर्ट तैयार करना।
c) कक्षा 11वीं तथा 12वीं के विद्यार्थियों का परिणाम तथा विभिन्न प्रतियोगी प्रवेश परीक्षाओं जैसे IITs, NITs, JEE MAINS/ADVANCE, AIIMS का परीक्षा परिणाम तैयार करना।
d) सभी विद्यार्थियों एवं प्रत्येक फैकल्टी का प्रतिमाह शिक्षण घण्टा की उपस्थिति का संधारण करना।

12. भुगतान की प्रक्रिया :–

चयनित कोचिंग संस्था को छः किश्तों में भुगतान किया जाना है, किश्तों का भुगतान निचे दर्शाए गए सारिणी के अनुसार उपलब्धि का माइलस्टोन और प्रदेय वस्तु प्रदान करने पर भुगतान किया जावेगा :–

किश्त की संख्या	अनुबंध के मूल का प्रतिशत	माइलस्टोन	प्रदेय राशि / अभिलेख अनुसार
a	**b**	**c**	**d**
1	10 %	माइलस्टोन–1 : फैकल्टी की तैनाती	1. कुल अनुबंधित मूल के 10 प्रतिशत का गारंटी उपलब्ध कराना। 2. बिंदु 11(a) अनुरुप
2	10 %	माइलस्टोन–2 : प्रथम तीन माह की शैक्षणिक अवधि की पूर्णता	1. बिंदु 11(b) अनुरुप 2. बिंदु 11(d) अनुरुप
3	15 %	माइलस्टोन–3 : प्रथम शैक्षणिक वर्ष माह जनवरी 2019	1. बिंदु 11(b) अनुरुप 2. बिंदु 11(d) अनुरुप
4	20 %	माइलस्टोन–4 : प्रथम तीन माह की पूर्णता अथवा द्वितीय शैक्षणिक वर्ष सितम्बर 2019 जो भी पहले हो	1. बिंदु 11(b) अनुरुप 2. बिंदु 11(c) अनुरुप 3. बिंदु 11(d) अनुरुप
5	20 %	माइलस्टोन–5 : द्वितीय शैक्षणिक वर्ष का जनवरी 2020	1. बिंदु 11(b) अनुरुप 2. बिंदु 11(d) अनुरुप
6	25 %	माइलस्टोन–6 : परिणाम घोषणा के बाद और परिभाषित लक्ष्य की उपलब्धता पर	1. बिंदु 11(c) अनुरुप 2. बिंदु 11(d) अनुरुप

सभी भुगतान सहायक आयुक्त आदिवासी विकास द्वारा जारी किए जावेंगे। अंतिम भुगतान (छठवीं किश्त) आयुक्त द्वारा अनुमोदन होने के पश्चात् जारी किया जा सकेगा।

प्रथम किश्त के विरूद्ध प्राप्त बैंक गारंटी की रकम विभाग द्वारा कोचिंग संस्था के कार्यों के प्रदर्शन को सुनिश्चित करने के लिए रखी जावेगी। बैंक गारंटी की अवधि अनुबंध समाप्ति की अंतिम तिथि से छः माह तक रहेगी।

13. प्रमुख प्रदर्शन सूचक (Key Performance Indicators)(KPIs) :-

कोचिंग संस्था को दिया जाने वाला भुगतान माइलस्टोन के प्रदर्शन पर आधारित होगा। भुगतान के सामंजस्य का निर्धारण प्रमुख प्रदर्शन सूचक (Key Performance Indicators)(KPIs) पर आधारित होगा।

निम्नलिखित KPIs होंगे :–

KPI-1. विषय विशेषज्ञों के शैक्षणिक घंटे –

इस KPI की गणना निम्नानुसार की जावेगी।

<u>सभी फैकल्टी के द्वारा एक माह के समय में वास्तविक शैक्षणिक घंटो की संख्या।</u>

कलेण्डर माह में शैक्षणिक दिनों की संख्या X अनुबंध के अनुसार प्रतिदिन शैक्षणिक घंटो की संख्या

KPI-2. प्रत्येक तिमाही में समय–समय पर लिए गये (आर्वती) विद्यार्थियों के परीक्षाओं के परिणाम – समय–समय (आर्वती) पर लिए गये परीक्षाओं का अर्थ त्रैमासिक / अर्द्धवार्षिक एवं प्री बोर्ड / प्री फाइनल परीक्षा

इस KPI की गणना निम्नानुसार की जावेगी।

संबंधित श्रेणी के विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त कुल अंक जो कि निर्धारित कट ऑफ मार्क से अधिक है
बैच में कुल विद्यार्थियों की संख्या

आर्वती परीक्षाओं के प्रश्न पिछले पांच वर्षो में प्रवेश परीक्षाओं में पूछे गये प्रश्नों के समान होना चाहिए। बाद में आर्वती परीक्षओं के मूल्यांकन की जांच विभाग द्वारा की जा सकेगी।

KPI-3. कक्षा 11वीं एवं 12वीं की बोर्ड परीक्षा में विद्यार्थियों का परिणाम
इस KPI की गणना निम्नानुसार की जावेगी।

प्रतियोगी परीक्षा संकलित करने वाल संस्था के द्वारा संबंधित श्रेणी में न्यूनतम निर्धारित कट ऑफ मार्क प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की संख्या
बैच में कुल विद्यार्थियों की संख्या

KPI-4. प्रतियोगी परीक्षाओं में विद्यार्थियों के परिणाम
इस KPI की गणना के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं में विद्यार्थियों का प्रतिशत का निर्धारण निम्नलिखित बैच मार्क चयन के आधार पर किया जा सकेगा :–

चयन का वर्ग	परीक्षा का प्रकार	बेंचमार्क चयन %
A	IITS/AIIMS/MBBS (अखिल भारतीय कोटा)	16%
B	NIT/IIIT/CGFTI/MBBS (राज्य कोटा)/ Integrated MBA of IITs	40%
C	शासकीय इंजीनियरिंग कॉलेज/BDS/BPT/ BAMS/BHMS	44%

चरण I. प्रत्येक वर्ग के विद्यार्थियों के बेंचमार्क की गणना :–
इसकी गणना निम्नानुसार की जा सकेगी
दिये गये विज्ञान संकाय के बैच में विद्यार्थियों की सख्याX प्रत्येक वर्ग का बेंचमार्क %

चरण II. इन्डेक्सड फैक्टर्ड चयन गणना:–
इसकी गणना निम्नानुसार की जा सकेगी
वर्ग A में चयनित की वास्तविक संख्या
वर्ग A में विद्यार्थियों का बेंचमार्क संख्या X 1.5
\+
वर्ग B में चयनित की वास्तविक संख्या
वर्ग B में विद्यार्थियों का बेंचमार्क संख्या X 1.0
\+
वर्ग C में चयनित की वास्तविक संख्या
वर्ग C में विद्यार्थियों का बेंचमार्क संख्या X 0.5

चरण III. KPI की गणना :–
इंडेक्स फैक्टर्ड चयन गणना (चरण–II)
3

KPI-5. फैकल्टी का प्रतिस्थापन
प्रत्येक फैकल्टी का प्रतिस्थापन (विभाग द्वारा प्रतिस्थापन अनुरोध को छोड़कर) रु. 10000/– (दस हजार रुपये मात्र) चयनित संस्था से कटौती की जावेगी।
इस KPI की गणना निम्नानुसार की जावेगी :–

(प्रतिस्थापन की संख्या) KPI के सूत्र में अथवा कोई अन्य कमियां कार्य क्षेत्र के नियम में (KPI-1 से KPI-4 को छोड़कर) X 10000/–

यदि KPI-1, KPI-2, KPI3 और KPI-4 1 से अधिक है तब गणना में 1 को लिया जावेगा।

चयनित कोचिंग संस्था को KPIs की उपलब्धि के अनुसार सामंजस्य करते हुए भुगतान किया जावेगा। किश्त के अनुसार भुगतान हेतु KPIs का सामंजस्य निम्नलिखित अनुसार किया जावेगा :–

किश्त संख्या	माइलस्टोन	KPIs का सामंजस्य	भुगतान करने योग्य राशि का निर्धारण
1	माइलस्टोन–1	कोई नहीं	पहले किश्त का पूर्ण राशि
2	माइलस्टोन–2	KPI-1 KPI-2 KPI-5	दूसरे किश्त की राशि X KPI-1 और KPI-2 का औसत – KPI-5
3	माइलस्टोन–3	KPI-1 KPI-2 KPI-5	तीसरे किश्त का मूल्य X KPI-1 और KPI-2 का औसत – KPI-5
4	माइलस्टोन–4	KPI-1 KPI-2 KPI-3 KPI-5	(चतुर्थ किश्त का मूल्य) X (KPI-1 X 0.25) +(KPI-2 X 0.25)+(KPI-3 X 0.50) – KPI-5
5	माइलस्टोन–5	KPI-1 KPI-2 KPI-5	(पंचम किश्त का मूल्य) X (KPI-1 और KPI-2 का औसत) – KPI-5
6	माइलस्टोन–6	KPI-3 KPI-4 KPI-5	(छठवे किश्त का मूल्य) X (KPI-3 X 0.20) +(KPI-4 X 0.80) – KPI-5

किसी भी किश्त का कुल योग परिभाषित किये गए भुगतान प्रक्रिया के पैमाने से अधिक नहीं होना चाहिए।

14. निविदा पूर्व बैठक एवं पूछताछ :–

कलेक्टर के निर्णय अनुरुप निविदाकर्ता की बैठक आयोजित की जा सकती है जिसकी पूर्व सूचना संबंधित निविदाकर्ता को दी जाएगी।

15. रूचि की अभिव्यक्ति (EOI) को जमा करना :–

प्रस्ताव को निम्न आवश्यकताओं के आधार पर जमा किया जा सकता है :–

(a) प्रस्ताव में अनुबंध में सूचीबद्ध सभी प्रकार के दस्तावेज होने चाहिए।

(b) EOI तैयार करते समय आवेदनकर्ता से उम्मीद किया जाता है, कि वे दस्तावेजों की सूक्ष्मता से जॉच कर लेवें। दस्तावेजों की अपूर्णता की स्थिति में निविदा को खारिज किया जा सकता है।

(c) आवेदनकर्ता के द्वारा EOI तैयार करने की प्रक्रिया तथा प्रस्तुत करते समय होने वाले व्यय को स्वयं वहन करेंगे। विभाग निविदा को स्वीकार करने हेतु बाध्य नहीं है, तथा चयन से पहले किसी भी समय चयन प्रक्रिया को निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित है जिसके संबंध में निविदाकर्ता की कोई भी टीप स्वीकार नहीं होगा।

(d) आवेदक का अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा प्रत्येक दस्तावेज में हस्ताक्षर एवं सील लगाना अनिवार्य है। प्रस्ताव में प्रतिनिधि के अधिकृत होने का ''पावर ऑफ एटॅारनी'' लिखित में संलग्न होना आवश्यक होगा।

(e) EOI के प्रत्येक पृष्ठ में वास्तविक हस्ताक्षर एवं सील लगाना अनिवार्य है।

(f) प्रस्ताव के लिफाफे अथवा पैकेट सील बंद होना आवश्यक है। सील बंद न होने की दशा में दस्तावेजों के गुमने अथवा प्रस्ताव की गोपनीयता भंग होने की जिम्मेदारी विभाग की नहीं होगी।

(g) EOI में दर्शित पते पर प्रस्ताव को अंतिम तिथि अथवा बढ़ाये गए अंतिम तिथि के पूर्व जमा करना आवश्यक होगा। अंतिम तिथि के बाद प्राप्त निविदा स्वीकार नहीं होगा।

16. गोपनीयता :–

(a) EOIs के खुलने के समय से लेकर चयन की घोषणा होने तक आवेदनकर्ता किसी भी प्रकार से विभाग से संपर्क नहीं करेगा और न ही EOI मूल्यांकन से संबंधित पूछताछ करेगा। EOIs के मूल्यांकन तथा अनुशंसाओं के बारे में आवेदनकर्ता जिसने EOIs जमा किया है अथवा उससे संबंधित किसी अन्य कार्यालयीन व्यक्ति को नहीं बताया जावेगा, जब तक चयन की घोषणा काप्रकाशन न हो।

(b) आवेदनकर्ता अथवा संबंधित कोई अन्य व्यक्ति अनुचित तरिके से EOIs के मूल्यांकन अथवा अनुबंध के संबंध में विभाग की प्रक्रिया को प्रभावित करता है, तो उसके EOI को निरस्त कर दिया जावेगा।

17. चयन की विधि :–

(a) निविदाकर्ता को उसके प्रस्ताव में प्रतियोगी परीक्षा के कोचिंग प्रदान करने हेतु उचित नमूना, सामग्री (मॉडल) लेकर आना होगा। प्रस्तुत नमूना, सामग्री (मॉडल) में आधुनिक दृष्टिकोण और कार्य प्रणाली मॉडल के स्केलिंग की अनुभव विधियॉ, अभिनव तरीके एवं तकनीकी का अधिकतम उपयोग सम्मिलित हो। प्रस्तुत प्रतिमान (मॉडल) का मूल्यांकन प्रस्ताव में सम्मिलित दस्तावेजों और प्रदर्शन (प्रस्तुतिकरण) से किया जावेगा।

(b) दस्तावेजों का जॉच प्रक्रिया दो चरणों में संपन्न किया जावेगा। तकनीकी योग्यता और गुणवत्ता मूल्य आधारित प्रणाली (QCBS) द्वारा होगा। तकनीकी योग्यता एवं वित्तीय प्रस्ताव पृथक–पृथक रूप से सील बंद लिफाफे में जमा किया जावेगा। तकनीकी मूल्यांकन, वित्तीय प्रस्ताव के पहले खोला जावेगा।

(c) विभाग के द्वारा एक समिति का गठन किया जावेगा, जिसके द्वारा प्राप्त किए गए निविदा में आवश्यक अभिलेख का परीक्षण किया जावेगा। समिति द्वारा प्राप्त निविदा के शर्तो को EOI द्वारा विस्तृत मापदंड अनुरुप निविदाकर्ता पूर्ण किया है अथवा नहीं, उसका परीक्षण किया जावेगा। निविदा में आवश्यक दस्तावेज प्राप्त न होने की दशा में इसे निरस्त किया जावेगा।

(d) समिति द्वारा निविदा के मूल्यांकन के संबंध में लिया गया निर्णय अंतिम माना जावेगा। समिति प्राप्त निविदा के संबंध में आवश्यक होने पर स्पष्टीकरण देने हेतु बैठक आयोजित कर सकता है। निविदाकर्ता द्वारा निविदा के संबंध में पत्र व्यवहार मान्य नहीं होगा।

(e) दस्तावेजों का मूल्यांकन मापदंडो के आधार पर किया जावेगा।

(f) तकनीकी प्रस्ताव का मूल्यांकन निम्न आधार पर किया जावेगा :–

- दस्तावेज आधारित मूल्यांकन (70 अंक) – परिभाषित चिन्हित मापदंड के आधार पर दस्तावेज आधारित मूल्यांकन किया जा सकेगा।
- निविदाकर्ता के निविदा में प्रस्तुतीकरण (Presentation) का अंक 30 निर्धारित होगा। समिति प्रस्तुतीकरण के लिए EOI के चयनित निविदाकर्ता को आमंत्रित कर सकता है। प्रत्येक

प्रस्तुतीकरण का उद्देश्य निविदाकर्ता को अपने प्रस्ताव में उल्लेखित बिन्दुओं के आधार पर समिति के समक्ष प्रदर्शित करना होगा। समिति के सदस्य संबंधित के EOI में दर्शित कोचिंग कार्यक्रम के प्रभावों का अवलोकन कर सकेंगे।

- दस्तावेजों का आंकलन करने के पश्चात् तथा प्रस्तुतीकरण करने के अंक के आधार पर आवेदनकर्ता का तकनीकी मूल्यांकन का अंतिम अंक दिया जावेगा।

(g) तकनीकी निविदा के पश्चात् वित्तीय निविदा को खोला जावेगा।

(h) निविदाकर्ता का सम्पर्ण अंको को निम्न प्रकार से गणना किया जावेगा :–

न्यूनतम मूल्यांकित वित्तीय प्रस्ताव (Fm) को 100 में से अधिकतम वित्तीय अंक (Sf) दिया जावेगा।

सभी अन्य प्रस्तावों के वित्तीय अंकों का निर्धारण की गणना निम्न सूत्र के आधार पर किया जा सकता है :–

$$Sf = \frac{100xFm}{F}$$

जिसमें Sf वित्तीय अंक

Fm न्यूनतम मूल्य

और F प्रस्ताव में दर्शित विचारणीय मूल्य

तकनीकी (T) और वित्तीय (P) प्रस्तावों का अधिभार इस प्रकार है :–

T =70 %, P= 30 %

निविदा को उनके संयुक्त तकनीकी (St) और वित्तीय अर्जित अंको के उपयोग से (T= तकनीकी मूल्यांकन में दिया गया अंक P= वित्तीय प्रस्ताव में दिया गया अंक, T+P=01) श्रेणी का निर्धारण निम्नानुसार किया जावेगा।

$$S = St \times T\% + Sf \times P\%$$

(i) यदि दो या दो से अधिक आवेदकों को अंतिम मूल्यांकन में समान अंक मिलने पर न्यूनतम मूल्य अंकित करने वाले आवेदक को कार्य का आबंटन किया जावेगा।

(j) संयुक्त रुप से दिया गया प्रस्ताव मान्य नहीं होगा।

(k) फ्रैंचाइजी के द्वारा दिए गए आवेदन में प्राथमिक फ्रैंचाइजर द्वारा सभी दस्तावेजों को जमा करना आवश्यक है और अनुबंध फ्रैंचाइजर के साथ निष्पादित किया जावेगा।

(l) वित्तीय निविदा निर्धारित प्रोफार्मा में जमा किया जावेगा।

(m) तकनीकी मूल्यांकन मापदंड में कम से कम अधिकतम अंक का 70% पाने वाले फर्म का ही वित्तीय प्रस्ताव खोला जा सकेगा।

(n) यदि तकनीकी मूल्यांकन में किसी भी निविदाकर्ता फर्म को न्यूनतम 70% अंक प्राप्त नहीं किया है तो अधिकतम अंक प्राप्त करने वाले तीन फर्मो को वित्तीय निविदा के लिए विचार किया जा सकता हे। यदि एक या दो निविदाकर्ता हो तथा अर्हता के अंक (qualify) प्राप्त न हो तो उन पर चिवार किया जा सकता है।

(o) चयनित निविदाकर्ता का EMD (अमानत राशि) प्रथम किश्त की बैंक गारंटी के पावती प्राप्त होने के पश्चात् वापस कर दी जावगी। अन्य निविदाकर्ता का EMD (अमानत राशि) चयन प्रक्रिया पूर्ण होने के 15 दिवस के अंदर जारी कर दी जावेगी।

18. योग्यता का मापदंड :— इस प्रक्रिया में नीचे दर्शित जमा किए गये दस्तावेजों के जांच और चयन के आधार पर किया जावेगा। यदि आवेदनकर्ता के पास निर्धारित योग्यता का मापदण्ड नहीं मिलता है तो उसे निरस्त कर दिया जावेगा।

क्र.	विवरण	न्यूनतम योग्यता मापदण्ड	वांछित दस्तावेज
1	संस्था/फर्म इंडियन पार्टनरशिप एक्ट से पंजीकृत, कम्पनी एक्ट के तहत, ट्रस्ट एक्ट के तहत पंजीकृत हो	संस्था न्यूनतम 03 वर्ष से अस्तित्व में हो।	संस्था के लिए :— संस्था/फर्म के पास नियमानुसार कोचिंग चलाने हेतु लाईसेंस प्राप्त हो। पार्टनरशिप :— फर्म/संस्था के पास रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र होना आवश्यक है। संस्था (सोसायटी):—सोसायटी के रजिस्ट्रार द्वारा पंजीकृत प्रमाण पत्र जारी होना चाहिए। ट्रस्ट :— ट्रस्ट के रजिस्ट्रार और ट्रस्ट के अभिलेख के अनुसार रजिस्ट्रेशन का प्रमाण संलग्न होना चाहिए। कम्पनी :— कम्पनियों के रजिस्ट्रार और संगठन के धाराओं के अनुरुप पंजीकरण होना चाहिए।
2	विगत वर्षो से प्रतियोगी परीक्षाओं के कोचिंग में संलग्नता (EOI में दर्शित सूची के अनुसार)	विगत तीन वर्षो से प्रति वर्ष 300 विद्यार्थियों को कोचिंग प्रदान करना।	चार्टेट एकाउंटेट (CA) के द्वारा विद्यार्थियों की संख्या और उत्तीर्ण हुए विद्यार्थियों का प्रमाणीकरण प्रस्तुत करना होगा।
3	EOI में संदर्भित प्रतियोगी परीक्षाओं के कक्षाओं में कोचिंग	विगत तीन वर्षो में औसतन 50 लाख रुपये का टर्न ओवर	संस्था/फर्म को विगत तीन वर्षो का ऑडिट रिपोर्ट प्रस्तुत करना होगा। कोचिंग क्रियाकलाप के लिए :— चार्टेट एकाउंटेट के द्वारा कोचिंग क्रियाकलापों (जिसमें परीक्षाएं सम्मलित हैं) का पृथक से प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
4	विषय विशेषज्ञों की संख्या	EOI में दर्शित सूची के अनुसार विषयों के लिए कम से कम 15 विषय विशेषज्ञ होना चाहिए।	विषय विशेषज्ञों के प्रस्तुत सूची में नाम योग्यता, अनुभव का वर्ष स्व—प्रमाणित होना चाहिए।
5	वैध PAN/ सर्विस टैक्स/सर्विस टैक्स भरते समय नियमित GST नम्बर	विगत तीन वर्षो आयकर/ सर्विस टैक्स विवरणी	1. PAN कार्ड की प्रति 2. सर्विस टैक्स पंजीयन प्रमाण पत्र तथा भारत शासन GST पोर्टल में वैध GSTN का प्रिंट आउट 3. विगत तीन वर्षो के सर्विस टैक्स रिटर्न की प्रति 4. विगत तीन वर्षो के आयकर रिटर्न की प्रति। संलग्न करना होगा।

उपरोक्त सभी अभिलेखों में फर्म के नाम पर भिन्नता होने पर निविदा अस्वीकृत माना जावेगा।

19. मूल्यांकन का मापदंड :– तकनीकी स्कोर का मूल्यांकन दस्तावेज आधारित पैरामीटर के आधार पर किया जावेगा। दस्तावेज आधारित पैरामीटर का मूल्यांकन निम्न तरीके से किया जावेगा।

क्र.	पैरामीटर (मापदंड)	उच्चतम अंक	स्कोरिंग पैटर्न	प्रमाणित दस्तावेज (प्रमाणन दस्तावेज)
1	EOI में संदर्भित कोचिंग संस्था के प्रतियोगी परीक्षाओं में अनुभव का वर्ष	15	प्रथम तीन वर्ष 03 अंक अगले प्रत्येक वर्ष हेतु 01 अंक	योग्यता मापदंड के पैरा 18 के सरल क्र. 03 में अंकित अनुसार
2	EOI में संदर्भित कोचिंग क्रियाकलापों से टर्न ओवर	15	प्री क्वालीफिकेशन को सुरक्षित करने के लिए टर्न ओवर 05 अंक प्रत्येक अतिरिक्त 10 लाख रुपये 01 अंक	योग्यता मापदंड में दर्शित पैरा 18 के सरल क्र. 03 में अंकित अनुसार
3	निर्दिष्ट कोचिंग संस्थान में छात्रों की औसत संख्या (इस EOI में उल्लेखित परीक्षा के लिए)	10	प्री क्वालीफिकेशन में विद्यार्थियों की संख्या हेतु 05 अंक प्रत्येक 100 छात्र से अतिरिक्त विद्यार्थी हेतु 01 अंक	योग्यता मापदंड में दर्शित पैरा 18 के सरल क्र. 02 में अंकित अनुसार
4	कैलेण्डर वर्ष 2017 के दौरान आयोजित परीक्षा में चुने गये उम्मीदारों की औसत संख्या (2017 में प्रतियोगी परीक्षाओं से EOI में उल्लेखित)	20	प्रथम 20 छात्र हेतु 03 अंक प्रथम 20 छात्र के बाद प्रत्येक 10 छात्र हेतु 01 अंक	योग्यता मापदंड में दर्शित पैरा 18 के सरल क्र. 02 में अंकित अनुसार
5	फैकल्टी संख्या	10	प्रथम 10 फैकल्टी हेतु 03 अंक प्रथम 10 फैकल्टी के पश्चात् प्रत्येक फैकल्टी हेतु 01 अंक	फैकल्टी का नाम, योग्यता और अनुभव के वर्ष की स्वयं प्रमाणित सूची

प्री–क्वालीफिकेशन मापदंड की अर्हता प्राप्त करने वाली फर्म/संस्था को **प्रस्तुतीकरण** के लिए बुलाया जावेगा। यदि आवेदको की संख्या 5 से अधिक है तो दस्तावेज आधारित मापदंडों **शीर्ष पॉच अंक** प्राप्त करने वाली फर्म/संस्था को प्रस्तुतीकरण हेतु बुलाया जावेगा। प्रस्तुतीकरण आधारित मूल्यांकन के लिए पैरामीटर निम्नानुसार है :–

क्र.	पैरामीटर (मापदंड)	उच्चतम अंक	स्कोरिंग पैटर्न	दस्तावेजों की आवश्यकता/ प्रस्तुतिकरण
6	विषय विशेषज्ञ को विषय की समझ एवं विषय में महारत	10	प्रस्तुति लेने के लिए नामित (पदांकित) विशेषज्ञों के द्वारा मूल्यांकन किए जावें	प्रस्तुतिकरण के आधार पर
7	अध्ययन सामग्री हार्ड एवं साथ ही साफ्ट कापी	05	प्रस्तुति लेने के लिए नामित (पदांकित) विशेषज्ञों के द्वारा मूल्यांकन किया जावें	नॉन–कापीराइट साफ्ट कापी और ऑनलाईन सामग्री के साथ अध्ययन सामग्री का हार्ड कापी
8	एसाईनमेंट के निष्पादन के लिए विस्तृत कार्य योजना प्रस्तावित	05	प्रस्तुति लेने के लिए नामित (पदांकित) विशेषज्ञों के द्वारा मूल्यांकन किया जावें	आवेदक द्वारा EOI के साथ संलग्न कार्य योजना
9	प्रस्तावित फैकल्टी की गुणवत्ता	10	प्रस्तुति लेने के लिए नामित (पदांकित) विशेषज्ञों के द्वारा मूल्यांकन किया जावें	EOI के साथ संलग्न प्रस्तावित फैकल्टी की सूची अनुसार

20. EOI जमा करना :–

(a) तकनीकी प्रस्ताव जिसमें प्री–क्वालीफिकेशन एवं मूल्यांकन के लिए दस्तावेज शामिल है, को एक मुहर बंद लिफाफा में स्पष्ट रूप से ''तकनीकी प्रस्ताव'' में चिन्हित किया जावेगा।

वित्तीय प्रस्ताव को अलग–अलग मुहर बंद लिफाफा में स्पष्ट रूप से ''वित्तीय प्रस्ताव'' में चिन्हित किया जावे कि ''तकनीकी प्रस्ताव के साथ खोला न जाए''

तकनीकी और वित्तीय प्रस्ताव वाले लिफाफे को बाहरी लिफाफे में मुहर बंद रखा जावे।

निविदा लिफाफा में ''प्रयास आवासीय विद्यालय दुर्ग के लिए निविदा'' अंकित किया जावे।

बाहरी लिफाफा के खुले रहने अथवा सील न होने की दशा में गुम हो जाने पर अथवा निर्धारित रुप से लिफाफा चिन्हित न होने पर विभाग जिम्मेदार नहीं होगा।

प्राप्त निविदा में तकनीकी एवं वित्तीय लिफाफा अलग–अलग मुहर बंद नहीं होने पर निविदा अमान्य किया जा सकता है।

(b) सभी दस्तावेज निर्धारित प्रारूप में जमा किए जावें। आवेदक को यह सुनिश्चित करना होगा कि सभी विषयांकित जानकारी विधिवत भरें गए है।

(c) सभी दस्तावेजों को क्रमशः पृष्ठ क्रमांक अंकित करते हुए जहां भी वांछित संलग्नक में उनका संदर्भ संख्या प्रदान की जानी चाहिए। नियमानुसार क्रमबद्ध नहीं होने पर निविदा अमान्य किया जा सकता है।

प्रपत्र–01

आवेदन पत्र का प्रारुप

क्र.	विवरण (ब्यौरे)	विवरण
1	संस्था का नाम जिसके लिए आवेदन किया गया है	
2	आवेदक का नाम	
	वैद्यता की स्थिति	
	पंजीकृत कार्यालय	
	दूरभाष नम्बर	
	ई–मेल पता	
3	संस्था/फर्म के मुख्य अधिकारी का नाम	
	पता	
	दूरभाष नम्बर एवं मोबाईल नम्बर	
	ई–मेल पता	
4	PAN	
	सर्विस टैक्स पंजीकरण संख्या	
	GST पंजीकृत संख्या (ऐच्छिक)	
5	क्या संस्था/फर्म को सरकारी/अर्द्धसरकारी कार्यालय द्वारा ब्लैकलिस्ट किया गया है (यदि हां तो किसके द्वारा)	

प्रपत्र–02

प्री क्वालीफिकेशन की जांच सूची (चेक लिस्ट)

क्र.	विवरण	न्यूनतम योग्यता मापदंड	वांछित दस्तावेज	संलग्न पेज क्र..... से पेज क्र......
1	निविदा शुल्क रु. 5000/– सहायक आयुक्त आदिवासी विकास दुर्ग के पक्ष में देय होगा	–	डिमांड ड्राफ्ट की मूल प्रति (DD)	
2	DD के रुप में रु. 500000/– का एक EMD	DD सहायक आयुक्त आदिवासी विकास दुर्ग के पक्ष में देय होगा	डिमांड ड्राफ्ट की मूल प्रति (DD)	
3	स्वामित्व :– पार्टनरशिप फर्म भारतीय पार्टनरशिप एक्ट के तहत पंजीकृत कम्पनी :–कम्पनी एक्ट के तहत पंजीकृत ट्रस्ट :– ट्रस्ट एक्ट के तहत पंजीकृत	कम से कम विगत तीन वर्षो से अस्तित्व में	स्वामित्व हेतु :– नियमों के तहत कोचिंग संचालित करने का लाईसेंस पार्टनरशिप :– कम्पनी रजिस्ट्रार द्वारा जारी रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र समिति (सोसायटी) नियमों के तहत सोसायटी रजिस्ट्रार के द्वारा जारी पंजीकरण प्रमाण पत्र कम्पनी :–कम्पनी रजिस्ट्रेशन के द्वारा जारी प्रमाण पत्र MoA and AoA ट्रस्ट :– ट्रस्ट रजिस्ट्रार के द्वारा जारी रजिस्ट्रेशन साक्ष्य	
4	प्रतियोगी परीक्षा के कोचिंग में सक्रिय (EOI सूची के अनुसार)	विगत तीन वर्षो से 300 विद्यार्थियों को कोचिंग प्रदान करना	चार्टेट एकाउंटेंट द्वारा प्रत्येक वर्ष का प्रमाण पत्र जिसमें विद्यार्थी संख्या और उत्तीर्ण विद्यार्थी संख्या दर्शित हो।	
5	EOI में संदर्भित कक्षाओं में प्रतियोगी परीक्षाओं के कोचिंग क्रियाकलापों से कुल टर्न ओवर	कोचिंग क्रियाकलापों से प्रति वर्ष संबंधित विषयों में टर्न ओवर 03 वर्षो में औसत टर्न ओवर 50 लाख रुपये	विगत तीन वर्षो के वित्तीय आडिट का प्रमाण पत्र संलग्नक के साथ चार्टेट एकाउंटेंट के द्वारा पृथक से कोचिंग क्रियाकलापों और परीक्षा से टर्नओवर का प्रमाण पत्र	
6	फैकल्टी की संख्या	EOI में 10 फैकल्टी सूचीबद्ध	फैकल्टी का नाम योग्यता और अनुभव के वर्ष की सूची स्व प्रमाणित	
7	वैद्य PAN/ सर्विस टैक्स/ GST संख्या सर्विस टैक्स नियमित रुप से भरा गया	विगत 03 वर्षो की दाखिल आयकर एवं सर्विस टैक्स विवरण	1. PAN कार्ड की प्रति 2. सर्विस टैक्स पंजीकरण प्रमाण पत्र और GST पोर्टल से वैद्य GSTN प्रिंटआउट 3. विगत 03 वर्षो का सर्विस टैक्स विवरण की कापी 4. विगत 03 वर्षो आयकर विवरण की प्रति	
8	पैरा 15(d) के शर्त अनुरुप वकालतनामा	–	वकालतनामा की मूल प्रति	

प्रपत्र–03
दस्तावेज आधारित मूल्याकन की जांच सूची (चेक लिस्ट)

क्र.	पैरामीटर (मापदंड)	प्रमाणित दस्तावेज	पेज क्र..... से पेज क्र...... में संलग्न
1	EOI में संदर्भित कोचिंग और प्रतियोगी परीक्षाओं के अनुभव का वर्ष	स्वामित्व हेतु :– नियमों के तहत कोचिंग संचालित करने का लाईसेंस पार्टनरशिप :– फर्मो के रजिस्ट्रार के द्वारा जारी रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र सोसायटी :– सोसायटी के रजिस्ट्रार द्वारा जारी रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र ट्रस्ट :– ट्रस्टों के रजिस्ट्रार द्वारा जारी ट्रस्ट रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र कम्पनी :– कम्पनी, मैमोरेण्डम (MoM) एंड आर्टिकल ऑफ एसोशिसेशन (AoA) के रजिस्ट्रार द्वारा जारी निवेश का प्रमाण पत्र	
2	EOI में संदर्भित कोचिंग क्रियाकलापों से कुल प्राप्त आय (टर्न ओवर)	वित्तीय आडिट विवरण सभी संलग्नक के साथ कोचिंग क्रियाकलापों हेतु :– चार्टेट एकाउंटेंट द्वारा पृथक से दिया गया प्रमाण पत्र जो विषयों सहित कोचिंग क्रियाकलापों से कुल आय (टर्न ओवर) दर्शाता हो	
3	EOI में संदर्भित विगत तीन वर्षो का कोचिंग संस्था में विद्यार्थियों की संख्या जिसमें प्रतियोगी परीक्षाओं का भी उल्लेख हो	चार्टेट एकाउंटेंट द्वारा दिया गया प्रमाण पत्र प्रत्येक वर्षो का प्रमाण पत्र जिसमें छात्र संख्या एवं उत्तीर्ण छात्र संख्या दर्शित हो। (प्रपत्र–4 के अनुसार)	
4	EOI में संदर्भित औसत उत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या/प्रतियोगी परीक्षा उत्तीर्ण की हो	चार्टेट एकाउंटेंट के द्वार प्रत्येक वर्षो का प्रमाण पत्र जिसमें दर्ज छात्र संख्या एवं उत्तीर्ण छात्र संख्या दर्शित हो (प्रपत्र–4 के अनुसार)	
5	विषय विशेषज्ञों की संख्या	विषय विशेषज्ञों का नाम, योग्यता एवं अनुभव के वर्षो की स्व प्रमाणित सूची (प्रपत्र–5 A के अनुसार)	
6	प्रस्ताव अनुसार विषय विशेषज्ञों की विषय के अनुभव	प्रस्तुतीकरण के आधार पर	आवश्यक नहीं
7	अध्ययनरत सामग्री हार्ड, साफ्ट कापी के साथ	अध्ययन सामग्री की साफ्ट कापी एवं हार्ड कापी	
8	सौपे गये दायित्वों के निर्वहन के लिए विस्तृत कार्य योजना	आवेदनकर्ता द्वारा EOI के साथ कार्ययोजना जमा करना	
9	प्रस्तावित विषय विशेषज्ञों की गुणवत्ता	EOI के साथ प्रस्तावित विषय विशेषज्ञों की सूची उपलब्ध कराना (प्रपत्र–5 B के अनुसार)	

प्रपत्र–04

C.A. प्रमाण पत्र

(C.A. फर्म के लेटर हेड से जारी किया जावेगा।)

यह प्रमाणित किया जाता है कि M/s .... के द्वारा प्रस्तुत निम्न जानकारियां एवं स्पष्टीकरण के निम्नलिखित विवरण हमारी जानकारी के अनुसार सत्य एवं सही है।

वर्ष	संकाय	दर्ज विद्यार्थी की संख्या	उत्तीर्ण छात्र	उत्तीर्ण %	कुल आय (टर्न ओवर)
2015–16	गणित				एकल अंक
	जीवविज्ञान				
	कुल				
2016–17	गणित				एकल अंक
	जीवविज्ञान				
	कुल				
2017–18	गणित				एकल अंक
	जीवविज्ञान				
	कुल				

टीप :– ऐसे फर्म जिनका वित्तीय वर्ष 2017–18 का आंकड़ा तैयार नहीं हो तो वे वित्तीय वर्ष 2014–15, 2015–16, 2016–17 का प्रस्तुत कर सकते है।

स्थान :–

दिनांक :–

हस्ताक्षर

फर्म के C.A. का नाम एवं पंजीकरण संख्या

सदस्यता प्रमाणन का नाम एवं सदस्यता क्रमांक

प्रपत्र–05 (A)

वर्तमान फैकल्टी

क्र.	फैकल्टी का नाम	योग्यता	डिग्री प्रदान करने वाली संस्था का नाम	उत्तीर्ण वर्ष	% अंक	अनुभव (वर्षो में)	विषय विशेषज्ञता
1	2	3	4	5	6	7	8

प्रपत्र–05 (B)

प्रस्तावित फैकल्टी

क्र.	फैकल्टी का नाम	योग्यता	डिग्री प्रदान करने वाली संस्था का नाम	उत्तीर्ण वर्ष	% अंक	अनुभव (वर्षो में)	विषय विशेषज्ञता
1	2	3	4	5	6	7	8

टीप :– यदि निविदाकर्ता द्वारा प्रपत्र 5(A) में वर्तमान फैकल्टी को बदलकर प्रपत्र 5(B) के प्रस्तावित फैकल्टी को प्रतिस्थापित करने पर KPI-5 के देय राशि में कटौती की जा सकती है।

प्रपत्र–06

वित्तीय अधिकारी का प्रपत्र

(आवेदक के लेटर हैड में जारी किया जाये)

''प्रयास आवासीय विद्यालय दुर्ग'' में शैक्षणिक वर्ष 2018–19 एवं 2019–20 के लिए फैकल्टी की व्यवस्था के लिए एजेंसी के चयन हेतु आमंत्रित ''रुचि की अभिव्यक्ति'' के जवाब में वित्तीय बोली (बिड़)

दिनांक ....

विद्यालय का नाम – प्रयास आवासीय विद्यालय दुर्ग

क्र.	कार्य का नाम	सभी समावेशी (GST को छोड़कर) समेकित दर प्रति छात्र दो शैक्षणिक वर्ष 2018–19 एवं 2019–20 के लिए (राशि रुपये में)	राशि शब्दों में
1	गणित एवं जीव विज्ञान संकाय		

टीप :–

1. ऊपर वर्णित मूल्य GST को छोड़कर होना चाहिए।
2. वित्तीय बोली अनुसार अंकित राशि में ओवरराइटिंग/कांटछाट स्वीकार नहीं होगा।

स्थान :–

दिनांक :–

हस्ताक्षर

अधिकृत हस्ताक्षर करने वाले का नाम...

पद......

कार्यालय का सील...........